शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-25/2018/3246/52-1-2017-04(एम0एस0डी0पी0)/18

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी, 2018

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 21.09.2017 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 134वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर के सेमरियावां में राजकीय आई०टी०आई० के भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/318/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दि027.09.2017 द्वारा जनपद संत कबीर नगर की प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 1234.92 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 740.95 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 370.48 लाख (रू0 तीन करोड़ सत्तर लाख अडतालिस हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 246.98 लाख (रू० दो करोड़ छियालिस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) अर्थात् कुल रू० 617.46 लाख (रू० छः करोड़ सत्रह लाख छियालिस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 6000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40)										(रू0 लाख में)
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	संत कबीर नगर	वि0ख0-सेमरियांव में रा0 आई०टी०आई० का भवन निर्माण	01	1234.92	740.95	493.97	1234.92	370.48	246.98	617.46
		योग	01		740.95	493.97	1234.92	370.48	246.98	617.46

Shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय की जायेगी। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि से आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन निर्माण की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य 36 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित धनराशि से ही पूर्ण किया जाना है। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक तथा वोकेशनल एजूकेशन एवं स्किल डेवलपमेण्ट विभाग के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

(4)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन निर्माण का मानक एवं डिजाइन वही होगी, जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

Unicode ITI G.O

Sriasadesh.up.nic.in

(7)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

(9)- जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन निर्माण की गुणवत्ता की जॉच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। अवमुक्त धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख दो-दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(10)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनवाया जायेगा जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

(11)- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही द्वारा मेन्टेन किया जायेगा । परियोजना के पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(12)- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14)- वांछित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(15)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक **03.08.2017** एवं दिनांक **26.08.2014** के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(17)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2017-18** के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-**48** के लेखा शीर्षक-**4235**-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत

Shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(12)/(छ) के क्रम में भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-89/दस-2018, दिनांक 17.01.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-संत कबीर नगर में आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

7- निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को इस आशय से प्रेषित कि जनपद-संत कबीर नगर में प्रश्नगत आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन के निर्माण का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई०टी०आई०, सेमरियांव के भवन निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Shasanadesh.up.nic.in

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

13- वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

Shasanadesh.up.nic.in